

कमिश्नर कार्यालय रीवा में आयोजित बैठक में कमिश्नर वीएस जामाद ने आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलों के आबकारी अधिकारी शराब की अवैध बिक्री और परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें।



त्वौहारों में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था करें : कमिश्नर

कमिश्नर और आईजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुरक्षा की समीक्षा की

रीवा - रीवा संभाग के कमिश्नर वीएस जामाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व और पुलिस अधिकारियों को आगामी त्वौहारों में सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग शांतिपूर्ण संभाग है। यहाँ सभी समुदाय मिलकर त्वौहार मनाते हैं। आगामी 16 सितम्बर को ईद मिलादउनवी तथा 17 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इन त्वौहारों में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था करें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। आवश्यक होने पर वन विभाग, होमगार्ड तथा अन्य विभागों के अधिकारी और

कर्मचारी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात करें। शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की भी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। जुलूस परंपरागत रूप से निर्धारित मार्ग पर ही निकलने की अनुमति दें। प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थल पर कराएँ। विसर्जन स्थल पर तैराक, नाव,

संयुक्त रूप से भ्रमण करें। जुलूस में सुरक्षाकर्मी अनिवार्य रूप से तैनात रहें। सभी स्थानों में फ्लैग मार्च और प्रातः कालीन गश्त कराएँ। सोशल मीडिया में भी लगातार कड़ी निगरानी रखें। भ्रामक समाचार और उत्तेजक कमेंट देने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करें। त्वौहारों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों और समुदाय प्रमुखों से लगातार संचालन करें। सभी त्वौहार सुरक्षा और शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएँगे। डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय ने भी त्वौहारों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीओपी शामिल रहे।

आयुक्त नगर निगम ने गणेश विसर्जन स्थलों का किया निरीक्षण



रीवा - आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के साथ शहर में निर्धारित किये गये गणेश विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था,

समुचित प्रकाश, वाहन पार्किंग, वैरिफिकेशन और गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विसर्जन स्थलों में रस्सियों और वैरिफिकेशन के माध्यम से सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराएँ। उन्होंने निर्देश दिये कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी संबंधित विभाग सतर्क रहें और

आनंद शिविर 23 से 26 सितंबर तक, बैंगलौर में अधिकारी करा सकते हैं पंजीयन

रीवा - संभागीय समन्वयक जनअभियान परिषद प्रवीण पाठक ने बताया है कि राज्य आनंद संस्थान द्वारा बैंगलौर में 23 से 26 सितंबर तक आनंद शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का आयोजन आई ऑफ लिविंग संस्था में किया जा रहा है। जिले के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आनंद विभाग की वेबसाइट डाब्लू.डाब्लू.डॉट.आई.टी.एस.एमपी.डॉट.इन पर पंजीयन करा सकते हैं।

कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

रीवा - कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा केन्द्र के आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न किये जाने पर तहसीलदार एवं जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने तहसीलदार जवा राजेन्द्र शुक्ला एवं तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान सुमित गुप्ता तथा प्रभारी सीईओ जनपद जवा नान्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मुख्यमंत्री 17 सितम्बर को स्वच्छता ही सेवा अभियान का करेंगे शुभारंभ

रीवा - जिले भर में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तैयारियाँ की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नगर परिषद चाकघाट में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में 17 सितम्बर को अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी शुभारंभ करेंगे। समारोह में स्वच्छता के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर

मुख्यमंत्री 17 सितम्बर को स्वच्छता ही सेवा अभियान का करेंगे शुभारंभ

दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 18 और 19 सितम्बर को सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय परिसरों तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। शहर के प्रत्येक वार्ड तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो स्थानों का चयन कर लिया गया है। इन स्थानों की विशेष सफाई सफाई अभियान के दौरान कराई जाएगी। अभियान के दौरान सभी प्रमुख कार्यालय भवनों, बस स्टैंड, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी विशेष सफाई-सफाई कराई जाएगी। अभियान के दौरान स्वच्छता जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थाओं में चित्रकला

प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा जागरूकता के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी विशेष सफाई-सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं के घर जाकर उनके परिवारजनों को सफाई-सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। अभियान के दौरान स्थानीय कलाकारों के सहयोग से स्वच्छता से जुड़े रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अभियान को सफल बनाने में स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों एवं आमजनता का पूरा सहयोग लिया जाएगा। सबके सहयोग से स्वच्छता ही सेवा अभियान सफल होगा।

कलेक्टर ने 48 अधिकारियों को दो वेतन वृद्धि रोकने का दिया नोटिस

रीवा - कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने 48 आहरण संचालन अधिकारियों तथा कार्यालय प्रमुखों को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धि अस्वीकार्य प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। इन अधिकारियों के कार्यालय में पेंशन प्रकरण के लंबित रहने तथा चार सितम्बर को आयोजित पेंशन शिविर में लंबित पेंशन प्रकरण प्रस्तुत न करने पर नोटिस दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने कहा है कि सभी अधिकारियों को लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों को चार सितम्बर को कलेक्टर सभागार में आयोजित पेंशन प्रकरण में आयोजित संबंधित कार्यालय सहायक के साथ उपस्थित होकर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन न करने पर वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस दिया गया है। नोटिस का तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं वर्गीकरण नियम 1966 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सहायक संचालक उद्यानिकी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ गोगेव, सीईओ जनपद पंचायत रीवा, सीईओ जनपद पंचायत जवा, सीईओ जनपद पंचायत मऊगंज, सीईओ जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान को नोटिस दिया है। कलेक्टर ने जिला मलेरिया अधिकारी, सिविल सर्जन, अधीक्षक गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, डीन मेडिकल कालेज रीवा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन त्वौथर नहर परियोजना, कार्यपालन यंत्री लाइट मशीनरी जल संसाधन, मुख्य अधिकारी गंगा कछार, कार्यपालन यंत्री अपर पुवा नहर, अधीक्षक यंत्री बाणसागर नहर तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु को भी नोटिस दिया है। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री नेशनल हाइवे, प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्राचार्य टीआरएस कालेज, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय

खनिज राजस्व की निर्धारित राशि की शत-प्रतिशत वसूली करें

खनिजों के अवैध परिवहन तथा ओवर लोडिंग पर कार्यवाही करें : कमिश्नर

रीवा - कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर वीएस जामाद ने खनिज विभाग की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी खनिज अधिकारी निर्धारित खनिज राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली करें। संभागीय खनिज अधिकारी सभी जिलों के अधिकारियों को हर माह के लिए राजस्व की अनुपातिक राशि तय करके इसे प्राप्त करने का लक्ष्य दें। राजस्व प्राप्ति को हर माह जिलेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी जिला खनिज अधिकारी खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। खनिज पदार्थों के ओवरलोड वाहनों को भी जप्त कर कार्यवाही

पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि सभी खनिज अधिकारी जिले की खनिज संपदा, स्वीकृत खदानों, क्रेशर आदि की पूरी जानकारी रखें। बैठक में जिला खनिज अधिकारी रीवा ने बताया कि जिले के लिए कुल 70 करोड़ खनिज राजस्व वसूली का वार्षिक लक्ष्य है। अप्रैल से अगस्त तक 23.81 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी। खनिज अधिकारी सिंगरौली आरके राय ने बताया कि सिंगरौली के लिए 4370 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल से अगस्त तक 14.21.19 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो अनुपातिक लक्ष्य का 94.7 प्रतिशत है। जिले में 36 रेत की खदानों मंजूर हैं। इनमें अक्टूबर माह से उत्खनन शुरू होगा। सीधी जिले में 50 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 14 करोड़ 90 लाख रुपये की प्राप्ति हुई है। सतना जिले में 110 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 31.25 करोड़ की वसूली हुई है। बैठक में उपायुक्त डीएस सिंह तथा मैहर, सतना एवं सीधी के खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।

आज मऊगंज आएंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री

रीवा - भारतीय जनता पार्टी मऊगंज जिलाअध्यक्ष डॉ. राजेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र कुमार खटीक एकदिवसीय प्रवास पर आज 14 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे मऊगंज आएंगे जहां पर संगठन एवं सदस्यता अभियान 2024 के निमित्त मऊगंज भाजपा कार्यालय में दोपहर 01:00 बजे बैठक लेकर सदस्यता अभियान को गति देने पर चर्चा करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया है कि बैठक में जिला पदाधिकारी, जिला सदस्यता अभियान टोली, विधानसभा टोली, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष टोली, नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बुलाए गए हैं भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी से बैठक में समय पर पहुंचने की अपील की है वही मऊगंज



और देवतालाब मंडलों की बैठक जिला संगठन प्रभारी केके तिवारी ने लेकर सदस्यता अभियान को गति देने पर चर्चा करते हुए कहा कि मऊगंज नया जिला होने के बावजूद रीवा संभाग में सबसे आगे चल रहा है इसे और ज्यादा गति देने की जरूरत है जिससे पूरे प्रदेश में मऊगंज सबसे ज्यादा सदस्यता लक्ष्य पूरा करने वाला जिला बन सके वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मऊगंज जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा ने सभी कार्यकर्ताओं से हर-हर-घर में संपर्क कर पार्टी के सदस्यता अभियान को लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने की अपील की बैठक में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वाहनों के लंबित टैक्स की अभियान चलाकर वसूली करें

परिवहन राजस्व वसूली की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करें : कमिश्नर

रीवा - कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नर वीएस जामाद ने कहा कि सभी परिवहन अधिकारी बसों को नियमित चेकिंग करें। विशेष अभियान चलाकर एक माह में सभी स्कूल बसों की चेकिंग करें। इनमें किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर जुर्माना लगाएँ। स्कूल बसों में सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित करें। यात्रा बसों की भी नियमित जाँच करें। परिवहन राजस्व के वार्षिक लक्ष्य को हर माह के आनुपातिक लक्ष्य में विभाजित करके इसकी हर माह वसूली कराएँ। परिवहन राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलों में प्रमुख महाविद्यालयों में शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाएँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया को भी जानकारा दें। खनिज पदार्थों तथा अन्य सामग्रियों को ले जाने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करें। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित करें। सभी परिवहन

कार्यालयों में ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र बना दिए गए हैं। इनका संचालन शुरू कराकर ड्राइवरों का नियमित रूप से प्रशिक्षण कराएँ। कई बार ड्राइवर को छोटी सी लापरवाही से कई व्यक्तियों की जान चली जाती है। कमिश्नर ने जाँच नाकों में वाहनों की जाँच की नई व्यवस्था के



शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाएँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया को भी जानकारा दें। खनिज पदार्थों तथा अन्य सामग्रियों को ले जाने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करें। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित करें। सभी परिवहन

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

नेशनल लोक अदालत में 48 खण्डपीठों में होगी प्रकरणों की सुनवाई

रीवा - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 48 खण्डपीठों गठित की गयी हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्वौथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय में 24 खण्डपीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 6 खण्डपीठ, सिरमौर में 6 खण्डपीठ, त्वौथर में 6 खण्डपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमना में 2 खण्डपीठ गठित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोचन फोरम, औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की खण्डपीठों द्वारा भी आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, धू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेंगे।